आवक क्र. 174
16/05/2025

प्रारूप क्र0 01 (देखिये नियम 3)

समिति के पंजीयन हेतु संशोधित ज्ञापन पत्र

समिति का पंजीयन क्र. 6625 समिति का पंजीयन दि. 3.7.08 संशोधन नस्तीबद्ध कर दि. 2/5/25 असि. रजिस्ट्रार

01. समिति का नाम :— वैष्णव माता शिक्षा समिति

02. समिति का प्रधान कार्यालयः— रानीबाग पन्ना तह0 व जिला—पन्ना (म0प्र0)

03. समिति के उद्देश्यः—

(1) शिक्षा का प्रचार प्रसार करना जिसमें विधि शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यो हेतु चिकित्सा शिक्षा। बेरोजगारी दूर करने के आशय से तकनीकी शिक्षा व आभियांत्रिकी शिक्षा क्रीडा शिक्षा के संचालन के साथ—साथ अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करना।

(2) अशिक्षित लोगों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक टेक्नालॉजी के साथ शिक्षा प्रदान करने के आशय से पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों व मदरसा महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालयों, बी.पी.एड., एम.पी.एड. बी.एड. एम.एमड. शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना व संचालन करना, नर्स प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, औपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा हेतु विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना व पुस्तकालय व वाचनालय का संचालन करना।

(3) समिति का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग मज्दूर, भूमिहीन निर्धन वर्ग के बालक—बालिकाओं को उत्तम शिक्षा सुविधायें प्रदान करना ताकि उनका मानसिक, बौद्धिक विकास हो व सभी को समानता के स्तर पर लाकर देश भक्ति की भावना से प्रेरित किया जा सके।

(4) सिलाई, कढाई, बुनाई, टायपिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, पार्लर पेन्टिंग, संगीत हस्तलिपि, बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, स्नेह कुटीर, बाल आश्रम, बाल सम्प्रेक्षण ग्रह खोलना व उनका संचालन करना।

(5) युवाओं में बढती हुई खेल प्रतिभाओं को आगे बढाते हुए क्रिकेट, बालीबाल, हाकी, टेबिलटेनिस, केरम बोर्ड, शतरंज के साथ—साथ विभिन्न एथलेटिक्स व सभी प्रकार के खेलों का शिक्षण प्रशिक्षण देना प्रतियोगिताओं का आयोजन करना व खिलाडियों को पुरूस्कृत व सम्मानित करना।

(6) महिला एवं बाल विकास हेतु कार्य करना, वेटनरी महाविद्यालय खोलना, कृषि महाविद्यालय का सांचलन करना, प्रायवेट विश्वविद्यालय खोलना एवं उसका संचालन करना, नशा मुक्ति सेंटर नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धा आश्रम, विकलांगों को उपकरण उपलब्ध करवाना सेवा कार्य, एसटी—एससी छात्रावास का संचालन करना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, गरीबी रेखा में आने वाले लोगों के लिए चिकित्सालय का संचालन करना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य करना।

सुमिला त्रिवेदी	Ankur Trivedi	[signature]
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)	(अंकुर त्रिवेदी)	(रामलखन त्रिपाठी)

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग

Scanned with OKEN Scanner

04 समिति का प्रबन्धः— विनियमों के अन्तर्गत होते हुए उसके कार्यों का प्रबन्ध शासन परिषद संचालक तथा शासी निकाय को सौंपा गया है जिसके नाम व पता व व्यवसाय का उल्लेख निम्नांकित है:—

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम	उपजीविका
01	श्री अंकुर त्रिवेदी तनय श्री अवधेश प्रसाद त्रिवेदी	रानीबाग पन्ना, जिला—पन्ना (म0प्र0) मो0 9425168277	अध्यक्ष	एडवोकेट
02	श्री रामस्वरूप शुक्ला तनय श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला	रानीबाग पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0	उपाध्यक्ष	कृषि
03	श्री अवधेश प्रसाद त्रिवेदी तनय श्री किशोर प्रसाद त्रिवेदी	रानीबाग, पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0 9425168239	सचिव	कृषि
04	श्री सुरेश कुमार शुक्ला तनय श्री रामस्वरूप शुक्ला	रानीबाग, पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0	सह सचिव	कृषि
05	श्रीमती सुमिला देवी त्रिवेदी पति श्री अवधेश प्रसाद त्रिवेदी	रानीबाग, पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0	कोषाध्यक्ष	कृषि
06	श्री रामलखन त्रिपाठी तनय स्व. श्री रामसंजीवन त्रिपाठी	इंद्रपुरी कालोनी पन्ना जिला- पन्ना (म.प्र.)	सदस्य	एडवोकेट
07	श्री महेश चन्द्र जैन तनय स्व. श्री दयाचद्र जैन	इंद्रपुरी कालोनी पन्ना जिला -पन्ना (म.प्र.)	सदस्य	नौकरी

यह पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र नकल है, प्रबंधकारिणी की वैधानिक सूची नहीं है।

अध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)

सचिव
(अंकुर त्रिवेदी)

कोषाध्यक्ष
(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

05 समिति के इस ज्ञाप पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म0प्र0 सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधि0 1973 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है संलग्न है। हम सभी व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे लिखे हैं समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर रहे हैं:–

6625
3.07.08
2/5/25
समिति का पंजीयन क्र. संशोधन
सहा. रजि.

क्रमांक	नाम	पता	पदनाम	उपजीविका	हस्ताक्षर
01	श्री अंकुर त्रिवेदी तनय श्री अवधेश प्रसाद त्रिवेदी	रानीबाग पन्ना, जिला–पन्ना (म0प्र0) मो0 9425168277	अध्यक्ष	एडवोकेट	हस्ता.
02	श्री रामस्वरूप शुक्ला तनय श्री हनुमान प्रसाद शुक्ला	रानीबाग पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0	उपाध्यक्ष	कृषि	हस्ता
03	श्री अवधेश प्रसाद त्रिवेदी तनय श्री किशोर प्रसाद त्रिवेदी	रानीबाग, पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0 9425168239	सचिव	कृषि	हस्ता
04	श्री सुरेश कुमार शुक्ला तनय श्री रामस्वरूप शुक्ला	रानीबाग, पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0	सह सचिव	कृषि	हस्ता
05	श्रीमती सुमिला देवी त्रिवेदी पति श्री अवधेश प्रसाद त्रिवेदी	रानीबाग, पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0) मो0	कोषाध्यक्ष	कृषि	हस्ता
06	श्री रामलखन त्रिपाठी तनय स्व. श्री रामसजीवन त्रिपाठी	इंद्रपुरी कालोनी पन्ना जिला–पन्ना (म.प्र.)	सदस्य	एडवोकेट	हस्ता
07	श्री महेश चन्द्र जैन तनय स्व. श्री दयाचंद्र जैन	इंद्रपुरी कालोनी पन्ना जिला–पन्ना (म.प्र.)	सदस्य	नौकरी	हस्ता

यह पंजीयन के समय ज्ञापन पत्र की नकल है। प्रबंधकारिणी की वैधानिक सूची नहीं है।

अति. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर

दिनांक

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम– अजय कुमार पटैरिया
तनय श्री महेश प्रसाद पटैरिया
आयु 38 वर्ष, निवासी बेनीसागर पन्ना
तह0–पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)

साक्षी के हस्ताक्षर
नाम– अंजनी सिंह
तनय श्री राज कुमार सिंह
आयु 25 वर्ष, निवासी–इन्द्रपुरी कालोनी पन्ना
तह0–पन्ना, जिला पन्ना (म0प्र0)

T.C.

प्रति:–

सोसायटी के रजिस्ट्रार

प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ,
सागर संभाग, सागर

सुमिला त्रिवेदी
अध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)

Ankur Trivedi
सचिव
(अंकुर त्रिवेदी)

कोषाध्यक्ष
(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली

01.समिति का नामः— वैष्णव माता शिक्षा समिति पन्ना

02.समिति का प्रधान कार्यालयः— रानीबाग पन्ना, जिला—पन्ना (म0प्र0),

समिति का पंजीयन क्र. 6625
समिति का पंजीयन दि. 3.7.08
संशोधन नस्तीबद्ध का दि. 2.5.25
अति. रजिस्ट्रार

03.संस्था का कार्यक्षेत्रः— मध्य प्रदेश

04.संस्था का उद्देश्यः—

(1) शिक्षा का प्रचार—प्रसार करना जिसमें विधि शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों हेतु चिकित्सा शिक्षा बेरोजगारी दूर करने के आशय से तकनीकी शिक्षा व आभियांत्रिकी शिक्षा के संचालन के साथ—साथ अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करना।

(2) अशिक्षित लोगों को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक टेक्नालॉजी के साथ शिक्षा प्रदान करने के आशय से पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों व मदरसा महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालयों, बी.पी.एड., एम.पी.एड., बी.एड. एम.एड. शिक्षा हेतु महाविद्यालय की स्थापना व संचालन करना, नर्स प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, औपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा हेतु विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना व पुस्तकालय व वाचनालय का संचालन करना।

(3) समिति का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग, मजदूर, भूमिहीन निर्धन वर्ग के बालक—बालिकाओं को उत्तम शिक्षा सुविधायें प्रदान करना ताकि उनका मानसिक बौद्धिक विकास हो सके और सभी को समानता के स्तर पर लाया जा सके देश भक्ति की भावना से प्रेरित किया जा सके।

(4) सिलाई, कढाई, बुनाई, टाईपिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटी पार्लर, पेन्टिंग, संगीत हस्तलिपि बाल विकास केन्द्र, शिशु रक्षा केन्द्र, स्नेह कुटीर, बाल आश्रम, बाल सम्प्रेक्षण ग्रह खोलना व उनका संचालन करना।

(5) युवाओं में बढती हुई खेल प्रतिभाओं को आगे बढाते हुए क्रिकेट, बालीबाल, हाकी, टेबिलटेनिस, कैरम बोर्ड, शतरंज के साथ—साथ विभिन्न एथलेटिक्स व सभी प्रकार के खेलों का शिक्षण प्रशिक्षण देना प्रतियोगिताओं करना व खिलाडियों को पुरूस्कृत व सम्मानित करना।

(6) महिला एव बाल विकास हेतु कार्य करना, वेटनरी महाविद्यालय खोलना, कृषि महाविद्यालय का संचलन करना, प्रायवेट विश्वविद्यालय खोलना एवं उसका संचालन करना, नशा मुक्ति सेंटर नशा मुक्ति केन्द्र, वृद्धा आश्रम, विकलांगों को उपकरण उपलब्ध करवाना सेवा कार्य, एसटी—एससी छात्रावास का संचालन करना, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना, गरीबी रेखा में आने वाले लोगों के लिए चिकित्सालय का संचालन करना, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कार्य करना।

सुमिला त्रिवेदी — अध्यक्ष (सुमिला त्रिवेदी)

Ankur Trivedi — सचिव (अंकुर त्रिवेदी)

कोषाध्यक्ष (रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

05. <u>सदस्यताः–</u> संस्था में निम्न श्रेणी के सदस्य होंगे–

(अ) **संरक्षक सदस्य–** समिति के निर्माणकर्ता का प्रत्येक सदस्य ने दान के रूप में 1000/– एक हजार रूपए समिति को दिये हैं अतः वह सभी संरक्षक सदस्य होंगे कोई व्यक्ति या समिति को 1000/– एक हजार रूपए या उससे अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य हो सकेगा।

समिति का पंजीयन क्रमांक 6625 दि. 3.7.08
समिति का संशोधन पंजीयन दि. 2/5/25
सहा. रजिस्ट्रार

(ब) **आजीवन सदस्य–** समिति के निर्माणकर्ता का प्रत्येक सदस्य ने दान के रूप में 500/– पांच सौ रूपए समिति को दिये हैं अतः वह सभी आजीवन सदस्य होंगे कोई भी आजीवन सदस्य 500/– रूपए देकर संरक्षक सदस्य भी बन सकेगा।

(स) **साधारण सदस्य–** कोई व्यक्ति बीस रूपए प्रतिमाह या दो सौ चालीस रूपए वार्षिक प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप देगा वह साधारण सदस्य होगा साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है। किन्तु ऐसा सदस्य संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकेगा।

(द) **सम्मानीय सदस्य–** संस्था की प्रबन्धकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है परन्तु उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

06. <u>सदस्यता की प्राप्तिः–</u> प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन देगा प्रबन्ध कार्यकारिणी को एकमात्र आवेदक स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

07. <u>सदस्यों की योग्यताः–</u> संस्था के सदस्य हेतु व्यक्ति में निम्नयोग्यता होना आवयश्क है

(1) आयु 18 वर्ष से कम नहो (2) भारत देश का नागरिक हो (3) समिति के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा की हो (4) सद्चरित्र व मद्यपान न करता हो एवं दिवालिया व किसी अपराध में दोषसिद्ध घोषित न हो (5) आपराधिक प्रवृत्ति का एवं निगरानीशुदा बदमाश न हो (6) अत्याधिक आवेदन होने पर किसी विशिष्ट योग्य व्यक्ति को वरीयता होगी।

सुमिला त्रिवेदी
अध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)

Ankur Trivedi
सचिव
(अंकुर त्रिवेदी)

कोषाध्यक्ष
(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

समिति का पंजीयन क्र. 6625
समिति का पंजीयन दि. 3.7.08
संशोधन कार्यवाही क्र. दि. 2/5/25

08. सदस्यता की समाप्तिः– संस्था की सदस्यता निम्न स्थिति में समाप्त हो जायगी:–

(1) मृत्यु हो जाने पर (2) पागल हो जाने पर (3) संस्था को देय चंदा जमा न करने पर (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर (5) चारित्रिक दोष होने पर अथवा किसी अन्य कारण से कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप से देना होगी (6) किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने या किसी अपराध में दोषसिद्ध होने पर।

09. **सदस्य पंजीः–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगा। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी परन्तु वर्ष में बैठक एक बार किया जाना अनिवार्य होगा बैठक का माह स्थान माह समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस एवं सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्यों का होगा संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलायी जायेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जायेगा। यदि सम्बन्धित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन कर किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव करा सकें।

सहा. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग, सागर

10. **(ब) प्रबन्धकारणी सभाः–** प्रबन्धकारणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों से पूर्ण होगा तथा यदि कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम कोरम की कोई शर्त नहीं होगी। बैठक का एजेन्डा अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगा।

10. **(स) विशेष सभाः–** यदि कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जायेगी इसमें विशेष संकल्प पारित होने पर वह संकल्प 14 दिन के भीतर पंजीयक को भेजा जायेगा, पंजीयक इसमें आवश्यक निर्देश व परामर्श दे सकेगा।

सुमिला त्रिवेदी	Ankur Trivedi	
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)	(अंकुर त्रिवेदी)	(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः–

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना, समिति के उद्देश्यानुसार क्रमोत्तर विकास की योजनायें तैयार करना व उनका अनुमोदन कर उनको क्रियान्वित करना।

समिति का पंजीयन क्र. 6625 समिति का पंजीयन दि. 3.7.08 संशोधन पंजीबद्ध दा दि. 2/5/25

12. प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठनः–

नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष तथा दो सदस्य चुने जायेंगे।

13. प्रबन्ध समिति का कार्यकाल

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा, समिति का कार्यकाल पूरा हो जाने पर उस समय तक जब तक कि नयी प्रबन्धकार्यकारणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता है करती रहेगी किंतु उक्त अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी इसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

अपर. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें सागर संभाग, सागर

14. प्रबन्ध कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्यः–

(अ) समिति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसकी पूर्ति व व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के मानदेय वेतन, भत्ते तथा संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रोफेसर, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक आदि की नियुक्ति करते हुए वे सभी अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जायें।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी।

सुमिला त्रिवेदी	Ankur Trivedi	
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)	(अंकुर त्रिवेदी)	(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन का प्रस्ताव पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

समिति का पंजीयन 6.6.25
समिति का पंजीयन दि. 3.7.08
संशोधन नस्तीबद्ध का 2/5/25

15. **अध्यक्ष के अधिकार:–**

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं सचिव के माध्यम से उक्त बैठकों का आयोजन करायेगा। मत समान होने पर अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार:–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त दायित्वों व निर्वहन व अधिकारों का उपयोग करना।

17. **सचिव के अधिकार:–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकार्यकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के सम्पूर्ण कागजातों को तैयार करना व करवाना उनका निरीक्षण करना अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबन्धकार्यकारिणी को देना।

(4) सचिव को एक समय में (दो हजार रूपए) व्यय करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार:–** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार:–** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता:–** संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक या डाकघर में संस्था के खाते में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम (दो हजार रूपए) रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी:–** अधि० की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जायेगी एवं धारा 28 के अन्तर्गत परीक्षित लेखा भेजी जायेगी।

सुमिला त्रिवेदी	Ankur Trivedi	
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)	(अंकुर त्रिवेदी)	(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

समिति का पंजीयन क्र. 6625
समिति का पंजीयन दि. 3.7.08
संशोधन पंजीयन दि. 12.5.25

22. संशोधनः— संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा किन्तु संस्था के हित में उनके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो सभी सदस्य को मान्य होगा।

23. विघटनः—संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जायेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंपी जायेगी किन्तु इसके पूर्व यदि संस्था की यदि कोई देनदारियों का दायित्व है तो पहले उनकी पूर्ण अदायगी की जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाहियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।

24. सम्पत्तिः—सस्था की समस्त चल तथा सम्पत्ति संस्था का नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा नहीं की जायेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलानाः— पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक बुलाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का व विचारार्थ विषय निश्चित करने का अधिकार होगा।

26. विवादः—संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष का साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार हो होगा।

27. अन्यः— समिति के उद्देश्यों का कियान्वयन शासन के सम्बन्धित विभाग से अनुमति मान्यता आदि प्राप्त कर किया जावेगा तत्पश्चात ही समिति द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रवेश हेतु समिति के नाम पंजीकृत उद्देश्यों का प्रचार—प्रसार किया जायेगा।

T.C.

प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ,
सागर संभाग, सागर

सुमिला त्रिवेदी	Ankur Trivedi	
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
(सुमिला त्रिवेदी)	(अंकुर त्रिवेदी)	(रामलखन त्रिपाठी)

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CU 660975

असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज सागर सम्भाग, सागर

प्रमाणित प्रतिलिपि

संस्था का नाम वैष्णव माता शिक्षा समिति पन्ना

संस्था का पता रानी बाग पन्ना

तहसील पन्ना जिला पन्ना

पंजीयन क्रमांक 6625 दिनांक 3/07/2008

के ज्ञापन पत्र / नियमावली / प्रमाण पत्र /

की नकल के साथ यह स्टाम्प संलग्न है।

प्रभारी सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाऐं, सागर संभाग सागर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CU 660974

अति. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें सागर सम्भाग, सागर

प्रमाणित प्रतिलिपि

संस्था का नाम ....

संस्था का पता ....

....

पंजीयन क्रमांक.............................. दिनांक ....

के ज्ञापन पत्र / नियमावली / प्रमाण पत्र /

की नकल के साथ यह स्टाम्प संलग्न है।

प्रभारी सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाएँ, सागर संभाग सागर